

S-674

Roll No.

LM-108

Insurance Law

(बीमा विधि)

(Master of Law LLM-12/16/17)

Second Year, Examination, 2018

Time : 3 Hours

Max. Marks : 80

Note : This paper is of **eighty (80)** marks containing **three (03)** Sections A, B and C. Learners are required to attempt the questions contained in these Sections according to the detailed instructions given therein.

नोट : यह प्रश्न पत्र अस्सी (80) अंकों का है जो तीन (03) खण्डों 'क', 'ख' तथा 'ग' में विभाजित है। शिक्षार्थियों को इन खण्डों में दिए गए विस्तृत निर्देशों के अनुसार ही प्रश्नों के उत्तर देने हैं।

Section-A / खण्ड-क

(Long Answer Type Questions) / (दीर्घ उत्तरीय प्रश्न)

Note : Section 'A' contains four (04) long answer type questions of nineteen (19) marks each. Learners are required to answer *two* (02) questions only.

नोट : खण्ड 'क' में चार (04) दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिये गये हैं।
प्रत्येक प्रश्न के लिए उन्नीस (19) अंक निर्धारित हैं।
शिक्षार्थियों को इनमें से केवल दो (02) प्रश्नों के उत्तर देने हैं।

1. Discuss briefly the main principles of Insurance Contract.

बीमा संविदा के प्रमुख सिद्धान्तों का संक्षेप में वर्णन कीजिए।

2. Explain the essential elements of 'Life Insurance Contract'. Briefly explain the circumstances where the risk is affected under the Contract of Life Insurance.

जीवन बीमा की संविदा के आवश्यक तत्वों की व्याख्या कीजिए। जीवन बीमा की संविदा में जोखिम को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों की संक्षेप में व्याख्या कीजिए।

3. What do you mean by 'Fire Insurance' ? What are its essential elements ? Explain.

'अग्नि बीमा' से आप क्या समझते हैं ? इसके आवश्यक तत्व क्या हैं ? व्याख्या कीजिए।

4. Briefly explain the nature and scope of 'Marine Insurance'.

'समुद्री बीमा' की प्रकृति एवं क्षेत्र की संक्षेप में व्याख्या कीजिए।

Section-B / खण्ड-ख

(Short Answer Type Questions) / (लघु उत्तरीय प्रश्न)

Note : Section 'B' contains eight (08) short answer type questions of eight (08) marks each. Learners are required to answer *four* (04) questions only.

नोट : खण्ड 'ख' में आठ (08) लघु उत्तरीय प्रश्न दिये गये हैं।
प्रत्येक प्रश्न के लिए आठ (08) अंक निर्धारित हैं।
शिक्षार्थियों को इनमें से केवल चार (04) प्रश्नों के उत्तर देने हैं।

1. Differentiate between a 'General Contract' and 'Insurance Contract'.

‘सामान्य संविदा’ एवं ‘बीमा संविदा’ के मध्य अन्तर स्पष्ट कीजिए।

2. What is speculative and pure risk ? Explain.

परिकल्पी एवं शुद्ध जोखिम क्या हैं ? समझाइए।

3. Differentiate between 'Fire Insurance' and 'Life Insurance'.

‘अग्नि बीमा’ एवं ‘जीवन बीमा’ के मध्य अन्तर स्पष्ट कीजिए।

4. What risks are covered by Marine Insurance Policies ? Explain.

सामुद्रिक बीमा पॉलिसी के अन्तर्गत कौन-कौन से जोखिम आते हैं ? स्पष्ट कीजिए।

5. What do you mean by Crop Insurance Policy ? Explain.

फसल बीमा पॉलिसी से आप क्या समझते हैं ? समझाइए।

6. Differentiate between 'Nomination' and 'Assignment' in Life Insurance Policy.

जीवन बीमा पॉलिसी के अन्तर्गत ‘नामांकन’ तथा ‘समनुदेशन’ के मध्य अन्तर स्पष्ट कीजिए।

7. What is Double Insurance ? How insurance claims are settled in case of double insurance ? Discuss.
दोहरा बीमा क्या है ? दोहरा बीमा की स्थिति में बीमा दावों का निस्तारण कैसे किया जाता है ? बताइए।
8. “Life Insurance is an insurance as well as an investment.” Explain.
“जीवन बीमा एक बीमा नहीं बल्कि एक विनियोग है।” स्पष्ट कीजिए।

Section—C / खण्ड—ग

(Objective Type Questions) / (वस्तुनिष्ठ प्रश्न)

Note : Section ‘C’ contains ten (10) objective type questions of one (01) mark each. All the questions of this Section are compulsory.

नोट : खण्ड ‘ग’ में दस (10) वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिये गये हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए एक (01) अंक निर्धारित है। इस खण्ड के सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

Fill in the blanks :

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए :

1. Insurance is a co-operative device to share
बीमा, को बाँटने का सहकारी तरीका है।
2. In Life Insurance, insurable interest should be present at the time of
जीवन बीमा में, बीमायोग्य हित करते समय उपस्थित रहना चाहिए।

3. Insurance is a contract against
बीमा, के विरुद्ध एक संविदा है।
4. The absence of insurable interest reduces the insurance contract into a contract.
बीमायोग्य हित की अनुपस्थिति बीमा संविदा को संविदा बना देती है।
5. If the death of the assured occurs during the grace period, the legal heirs of the assured are entitled to the
यदि बीमाधारक की मृत्यु अनुग्रह अवधि में हो जाती है, तो बीमाधारक के उत्तराधिकारी प्राप्त करने के अधिकारी होंगे।
6. Section 35 of the Marine Insurance Act deals with
समुद्री बीमा अधिनियम की धारा 35 के सम्बन्ध में प्रावधान करती है।
7. L. I. C. of India vs. Asha Goel (2001) SCC 160 is a case related to
भारतीय जीवन बीमा निगम बनाम आशा गोयल (2001) एस. सी. सी. 160 का वाद सम्बन्धित है।
8. The term 'Insurer' has been defined in Section of Insurance Act, 1938.
'बीमाकर्ता' शब्द को बीमा अधिनियम, 1938 की धारा में परिभाषित किया गया है।

9. In Fire Insurance, the subject-matter of insurance is only.

अग्नि बीमा में, बीमा की विषय-वस्तु केवल होती है।

10. In Marine Insurance, insurable interest should be present at the time of

समुद्री बीमा में बीमायोग्य हित के समय उपस्थित रहना चाहिए।